उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 299/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादूनः दिनांक 18 अगस्त, 2006

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में दस लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है,

परन्तु यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में दस लाख मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी और दस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में यदि स्त्री/स्त्रियों का अंश विनिर्दिष्ट हो, तो ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक कमी कर दी जायेगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखित में विनिर्दिष्ट नहीं है तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा मानों ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकृत न की गयी हों।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– 299(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2006 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला–निबन्धक, उत्तरांचल।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–9 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।